न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/02/2021 **जीसीएमएस नं0 2021/2**

प्रवेश तिथि 06.01.2021

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री संतोष मीना, निवासी 9/743, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली–110003		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.01.2021

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 09.10.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर द्वारा मेल से भेजे पत्र क्रमांक–/2020/457 दिनांक 21.07.2020 के प्रतिउत्तर मे मेरे द्वारा 21.07.2020 को 9.48 बजे मेल से भेजे जवाब पत्र व रजिस्टर्ड डाक से भेजे मेरे पंत्र दिनांक 22.07.2020 में प्रस्तुत तथ्यों के बाद मेरी उक्त शिकायत पर आप ने जांच की है, जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर अलवर को प्रस्तुत की है तो उस जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने बाबत अनुरोध किया गया था।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 09.10.2020 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 22.12.2020 (न्याया0 को प्राप्त दि0 05.01.2021) के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2021/26–27 दिनांकः 06.01.2021 के माध्यम से तलब कर दिनांकः 21.01.2021 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी की आरे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक आर.टी.आई./2021/429–30 दिनांक 19.01.2021 से जवाब अपील पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया गया।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 09.10.2020 के क्रम में जवाब नोटिस पत्रांक आर.टी.आई./2021/429–30 दिनांक 19.01.2021 के माध्यम अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निर्धारित समयावधि में प्रार्थी को 4 दस्तावेज जिनका शुल्क 8रू0 था तथा अपीलार्थी द्वारा सिर्फ 5रू0 प्रतिलिपि शुल्क आवेदन के साथ जमा करवाया गया था व शेष शुल्क 3रू0 हेतु अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/20/9047 दि0 28.10.2020 के द्वारा जमा कराने हेतु लिखा गया। इसके उपरांत अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दि0 11.11.2020 (प्रत्यर्थी विभाग को प्राप्त दि0 01.12.20) के द्वारा शेष प्रतिलिपि शुल्क 3रू0 भिजवाने की पालना में 5रू0 का पोस्टल ऑर्डर (सं0 70C 897926) भिजवाया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा शेष शुल्क जमा कराने पर कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2020/13124 दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया गया है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रांक आरटीआई/2020/13124 दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से किया गया विनिश्चय उचित है।

9. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है।

10. आज दिनांकः 28.01.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) ★ अलवर (राज0) ★ ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)